प्रेषिका,

आकांक्षा बंसल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एटा।

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः माननीया जनपद न्यायाधीश,
एटा।

विषयः शासनादेश संख्या–17051/दो–4–2011–45(12)/91 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश संख्या–1363/दो–4–2009–45(12)/91 दिनांक 13.05.2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मयमहंगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि दिनांक 14.06.2018 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.06.2018 को अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0–24, एटा के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। प्रार्थीया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल0एल0एम0 उपाधि धारक थी। इसलिए प्रार्थीया उपरोक्त शासनादेश से, विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने के दिनांक 14.06.2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थीया के द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन में भी वर्णन किया गया है।

अतः आदरणीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थीया को पदभार ग्रहण करने के दिनांक 14.06.2018 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थीया का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करे।

सादर धन्यवाद।

प्रार्थीया
Akanksha 24/2/20
(आकांक्षा बंसल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एटा।

दिनॉकः–24.02.2020

संलग्नकः–01. विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति।
02. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायाप्रति।
03. पदभार ग्रहण करने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

Scanned with CamScanner